Phone & Fax 0135-2658294, E-mail: cfshiwa-forest-uk@nic.in

कार्यालय–वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः– 2093 / 12–1 दिनांक 27-1- , 2025।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून ।

विषय :– **भारत–माला परियोजना लौट–4 / पैकेज–2 के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में नजीबाबाद–कोटद्वार को कोटद्वार, पौड़ी सड़क से जोड़ने वाले एन०एच०–119 के कोटद्वार बाईपास के 4 लेन के निर्माण हेतु 1.10 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।** (Online Proposal No- FP/UK/ROAD/ 157584/2022)

सन्दर्भ :– **भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक–08बी० / यू०सी०पी० / 06 / 35 / 2024 / एफ०सी० दिनांक 24–12–2024।**

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक– 2438 / 12–1 दिनांक–21 / 01 / 2024 से बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित की गई है:–

क्र0	अधिरोपित शर्ते	अनुपालन आख्या
1	The proposed diversion area is only 1.1 ha and density for 98 trees is given 0.6. A clarification in this regard is required to be submitted.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त आरक्षित वन भूमि (गिवंई क०सं०–3) का प्रबन्ध योजना नियंत्रण वर्ष 2014–15 से 2023–24 तक के अनुसार घनत्व त्रुटिवश 0.6 लिया गया है। उक्त क्षेत्र का घनत्व प्रबन्ध योजना नियंत्रण वर्ष 2014–15 से 2023–24 तक के अनुसार 0.5 है, जिसे ऑनलाईन भाग–2 में भी संशोधित कर लिया गया है।
2	The FRA certificate is required to be uploaded at para K in Part-1.	प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा एफ०आर०ए० से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र भाग–01 में यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।
3	NBWL clearance shall be submitted as the area is part of buffer zone of Rajaji Tiger Reserve.	प्रयोक्ता ऐजेन्सी एन०एच०ए०आई० द्वारा वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के लिए प्रस्ताव सं० **WL/UK/Road/446764/2024** दिनांक 21.03.2024 से ऑनलाईन आवेदन किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा दिनांक 19.07.2024 को अपनी सहमति एन०बी०डब्ल्यू०एल० को प्रेषित की गई है। वर्तमान में प्रस्ताव एन०बी०डब्ल्यू०एल० के पास विचाराधीन है। यहाँ यह भी उल्लेख करना है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्यजीव प्रभाग) ने पत्र संख्या **WL–6 / 14 / 2023 WL** दिनांक 18.03.2024 के तहत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित 2023 के अनुसार एस०सी०एन०बी०डब्ल्यू०एल० की सिफारिशों के अनुमोदनों और वन मंजूरी की आवश्यकता वाले प्रस्तावों को वन मंजूरी प्राप्त होने के बाद ही एस० सी०एन० बी० डब्ल्यू०एल० के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
4	CA is proposed over NFL. As per the V (S&S) Rules, 2023, CA is required over NFL only.	प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित नॉन फोरेस्ट लैण्ड (**Non Forest land**) से सम्बन्धित सूचना भाग–1 में यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु विचार करना चाहें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक : 2093 / 12–1 ,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार को उनके उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।